प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26.08.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 25.08.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गयाए जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गयाए जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.कच्ची शराब के विरूध्द अभियानः-

दिनांक 16.08.2020 से कच्ची शराब के विरूद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 25.08.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 17 व्यक्तियों के कब्जे से कुल 140 लीटर अवैध कच्ची शराब व 136 शीशी देशी बण्टी बबली शराब बरामद करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया एवं काफी मात्रा में लहन नष्ट किया गया। अभियान जारी है।

02.थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा पाँच व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गयाः-

दिनांक 25.08.2020 को थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना मय हमराही क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति रामपुर कारखाना कस्बे में जुआ खेल रहे है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा बताये गये पते पर दबिस दिया गया जहाँ पाँच लोग पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा दौडाकर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम 01.लोरी पुत्र अलगू सा0 व थाना रामपुर कारखानाए देवरिया 02.धर्मेन्द्र पासवान पुत्र रामदेव सा0 उपरोक्त। 03.सुरेश चैहान पुत्र भागी सा0 उपरोक्त 04.संदीप प्रजापति पुत्र महेन्द्र प्रजापति सा0 उपरोक्त 05.दहारी चैहान पुत्र स्व0 ठग सा0 उपरोक्त बताये व उनके कब्जे से तास के 52 पत्ते व माल फड-770 रू0 व जामा तलाशी 500रू0 नगद बरामद किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना रामपुर कारखाना पर अपराध धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

03.थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा एक अदद वाहन मैजिक से 02 राशि गोवंश पशु के साथ दो अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 25.08.2020 को थानाध्यक्ष भाटपार रानी मय टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर चनकी बाजार के पास से एक अदद पीकप वाहन सं0 बीआर-29, जीए-9203 से 02 राशि गोवंश पशु लदे हुए पकड़े गये। बरामद पशुओं व वाहन को कब्जे में लेते दो व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता **01.गोविन्द यति पुत्र राम दिनेश चन्द्र 02. रुपई यति पुत्र रामप्रवेश यति सा0 मथिया थाना बनकटा देवरिय** बताया। उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा 3/5ए /8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

04.थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज तलवार के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गयाः-

दिनांक 25.08.2020 को थानाध्यक्ष भाटपार रानी के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर अहिरौली तिवारी मोड से एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.तिरारत अली पुत्र मो0 हुसैन सा0 अहिरौली तिवारी थाना भाटपार रानी, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01अदद नाजायज तलवार बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

05. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 25.08.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡धारा 107,116,151 सीआरपीसी में 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों के विरूद्ध 110जी के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

06.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 25.08.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियोंए संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 466 वाहनों से 299000 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।